



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 146 राँची, मंगलवार,

25 मार्च, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

24 मार्च, 2025

संख्या-12/एम₂-1065/2004-1289--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) में और संशोधन हेतु निम्न नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(i) यह नियमावली झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित), जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा जाएगा, के नियम-11 के उप नियम (क) निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(क) पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि में प्रोन्नति आधारित नियुक्तियाँ पुलिस निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक (सशस्त्र) एवं परिचारी प्रवर की पंक्ति के पदाधिकारियों को उनकी मूल कोटि यथा पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक (सशस्त्र) एवं परिचारी की संयुक्त वरीयता सूची से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर वांछित निर्धारित कालावधि, शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों तथा आरोपों की स्थिति के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
